अधिसूचना संख्या 2/2015[एफ.सं.178/121/2009 /आईटीए-I], दिनांक 8-1-2015

जबकि केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 50(ई), दिनांक 8 जनवरी, 2008 द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना तैयार और अधिसूचित की है, जिसे बाद में अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1605(ई), दिनांक 2 जुलाई, 2008 और अधिसूचना एस.ओ. संख्या 1210(ई) दिनांक 21.5.2010 द्वारा संशोधित किया गया है।

और जबकि मेसर्स एल्डेको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 201-212, द्वितीय तल, स्प्लेंडर फोरम, जिला केंद्र जसोला, नई दिल्ली-110025 में है, ग्राम चरगलिया, जेल कैंप, सितारगंज, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड, 262605 में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, अधिनियम की धारा 80-झक की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा प्रारंभ की तारीख यानी 30.03.2009 से उपक्रम को अधिसूचित करती है, जिसे अधिसूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन उक्त खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए ग्राम चरगलिया, जेल कैंप, सितारगंज, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड, 262605 में स्थित औद्योगिक पार्क के लिए एक उपक्रम के रूप में मेसर्स एल्डेको सिडकुल औद्योगिक पार्क लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है।

अनुलग्नक

मेसर्स एल्डेको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड, उत्तराखंड द्वारा औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के नियम और शर्तें

1(i) औद्योगिक उपक्रम का नाम:	एल्डेको सिडकुल औद्योगिक पार्क लिमिटेड।
(ii)स्थान:	ग्राम चरगलिया, जेल कैंप, सितारगंज, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड, 262605
(iii) न्यूनतम निर्मित फर्श क्षेत्र:	15,000 वर्ग मीटर।

(iv) प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियाँ:	औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में परिभाषित अनुसार।
(v) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आवंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत:	75% या अधिक।
(vi) वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित आवंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत:	10% या उससे कम।
(vii) औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या:	55 इकाइयाँ।
(viii) औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की तिथि:	30.03.2009

2. औद्योगिक पार्क को प्रारंभ तिथि अर्थात 30.03.2009 को विकसित माना जाएगा, जैसा कि उपक्रम द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में उल्लिखित है और उत्तराखंड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।

3. औद्योगिक पार्क का स्वामित्व केवल एक उपक्रम के पास होना चाहिए।

4. अधिनियम के अंतर्गत कर लाभ उपक्रम को तभी उपलब्ध होंगे जब औद्योगिक पार्क में न्यूनतम तीस इकाइयां स्थापित होंगी। औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या की गणना के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति और उसके संबद्ध उद्यमों की सभी इकाइयों को एक इकाई माना जाएगा।

5. कोई भी औद्योगिक इकाई, किसी संबद्ध उद्यम की इकाइयों के साथ, आबंटन योग्य क्षेत्र के पच्चीस प्रतिशत से अधिक पर कब्जा नहीं करेगी।

6. अधिनियम के अंतर्गत कर लाभ केवल इस अधिसूचना द्वारा अधिसूचित उपक्रम को ही उपलब्ध होंगे, न कि किसी अन्य व्यक्ति को जो बाद में किसी भी कारण से अधिसूचित औद्योगिक पार्क का विकास, विकास और संचालन या रखरखाव और संचालन करता है।

7. उपक्रम, अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन, अपनी इच्छानुसार, इस अधिसूचना में उल्लिखित औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की तिथि से प्रारंभ होने वाले पंद्रह वर्षों में से दस लगातार निर्धारण वर्षों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक (4)(iii) के अंतर्गत कटौती का दावा कर सकता है।

8. औद्योगिक पार्क में स्थित औद्योगिक इकाइयाँ केवल उन्हीं गतिविधियों को करेंगी जैसा कि औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में निर्दिष्ट है।

9. उपक्रम को औद्योगिक पार्क के लिए अलग से लेखा बही रखनी होगी और आयकर विभाग को नियत तिथि तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।

10. अधिसूचना अमान्य होगी और मेसर्स एल्डेको सिडकुल औद्योगिक पार्क लिमिटेड ऐसी अमान्यता के किसी भी परिणाम के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा, यदि

(i) जिस आवेदन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, उसमें गलत जानकारी/गलत सूचना है या उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

(ii) यह उस औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है जिसके लिए किसी अन्य उपक्रम के नाम पर पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

11. उपक्रम को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को फॉर्म ।PS-II में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

12. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में शामिल शर्तों का "उस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए जिसके लिए इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। यदि उपक्रम किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो केंद्र सरकार उपरोक्त अनुमोदन वापस ले सकती है।

13. केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना परियोजना योजना में कोई भी संशोधन या भविष्य में पता लगाना, या आवेदक की ओर से किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा करने में विफलता, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अमान्य कर देगी।

14. यह अनुमोदन मेसर्स एल्डेको सिडकुल औद्योगिक पार्क लिमिटेड द्वारा सूचित किए गए फर्श क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों की शुद्धता के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा सत्यापन/पता लगाने के अधीन है।